<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-2/2024-हिं.अ. दिनांक: 29.08.2024

<u>पृष्ठांकन</u>

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संस्थान की 30 जून, 2024 को समाप्त अवधि की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी।

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 16.08.2024 के पत्र सं. ई-11013/11/2021-हिंदी के द्वारा संस्थान की 30 जून, 2024 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट सूचना/आवश्यक अनुपालन हेतु संस्थान को प्रषित की गई है जिसे सभी सम्बद्ध 35 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केन्द्रों के अवलोकन तथा आवश्यक अनुपालन हेतु पृष्ठांकित किया जाता है।

संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रेषित उक्त समीक्षा रिपोर्ट में दर्शाए गए बिन्दुओं पर उचित अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(पदम सिंह)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

<u>वितरण:</u>

1. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)
2. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ
3. प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ
4. प्रशासन अधिकारी, सम्पदा अनुभाग
5. प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ
6. प्रशासन अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ
7. प्रशासन अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ
8. प्रशासन अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ
9. प्रशासन अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ
10. प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ
11. प्रशासन अधिकारी, आउटसोर्स प्रकोष्ठ
12. लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
13. लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग
14. लेखा अधिकारी, ऑडिट अनुभाग

जारी--2/-

15. लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग
16. लेखा अधिकारी, एम.एस.यू.
17. छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग
18. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग
19. अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग
20. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय
21. प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग
22. प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग
23. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा
24. कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग
25. सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
26. भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)
27. प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग
28. प्रशासन अधिकारी, अस्पताल
29. प्रशासन अधिकारी, डॉ.रा.प्र. केन्द्र
30. प्रशासन अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र
31. प्रशासन अधिकारी, डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कैं.अ.
32. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
33. प्रशासन अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र
34. प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद
35. प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक/ संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (रा.भा.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के वैयक्तिक सहायक।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

सं. ई–11013/11/2021-हिंदी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(राजभाषा प्रभाग)
*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 16.08.2024

सेवा में

सचिव,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली – 110029.

विषयः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा।

महोदय,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा निम्नानुसार हैः-

1. **धारा 3(3):** आपके कार्यालय द्वारा धारा 3(3) के तहत जारी सभी 809 दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए है । यह प्रयास सराहनीय है।

2. **राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5:** आपके संस्थान में कुल 9,743 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 9,439 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा 304 पत्रों के उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। यह प्रयास सराहनीय है।

3. **अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर :** इसी प्रकार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति में 'क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों में से अधिकतर के उत्तर हिंदी में दिए गए है। यह प्रयास सराहनीय है।

   क. इसके अलावा, ऐसे सभी पत्र, जिनके उत्तर अपेक्षित नही थे, की प्राप्ति सूचना (पावती) यदि हिंदी में भिजवाई जाती तो इन पत्रों को भी हिंदी पत्राचार में शामिल किया जा सकता था। इस प्रकार हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढाया जा सकता है।

4. **संस्थान द्वारा भेजे गए मूल पत्र:** आपके संस्थान के द्वारा भेजे गए मूल पत्रों में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र को भेजे गए हिंदी पत्रों की प्रतिशतता क्रमश: 71%, 57% और 48% है । वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार यह पत्राचार क्रमश: 100%, 90% और 55% होना चाहिए। इस संबंध में सुधार करने का प्रयास करें।

5. **फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पणियॉं:** आपके द्वारा फाइलों पर 60% टिप्पणियॉं हिंदी में लिखी गई है। इस संबंध में सुधार करने का प्रयास करें।

6. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:- आपके संस्थान द्वारा आयोजित पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला में 18 कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों की हिंदी में काम करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रयास सराहनीय है। भविष्य में भी ऐसे प्रयास करते रहें।

संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा की गई सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों, जो आपके संस्थान पर लागू होते हों, का भी ध्यान रखें और ऐसे आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है तथा इस विषय पर किसी शंका की स्थिति में मंत्रालय के राजभाषा एकक से संपर्क किया जा सकता है।

कृपया की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

भवदीय,

(डॉ. राजेश कपूर)
उप निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) महोदया के प्रधान निजी सचिव।

नोट: कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय में 80% कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञाम प्राप्त कर लिया है, तो आपका कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया जाए। यदि कार्यालय पहले से अधिसूचित है तो उसकी अधिसूचना की प्रतिलिपि या तारीख मंत्रालय को भेजी जाए। यदि कार्यालय अधिसूचित नहीं है, तो इस संबंध में कार्मिकों के हिंदी ज्ञान की स्थिति का विवरण निम्नानुसार संलग्न करते हुए अधिसूचित करने संबंधी प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेजा जाए।*

* राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत कार्यालय को अधिसूचित करने के लिए प्रेषित की जाने वाली सूचना का प्रोफार्मा

क्र.सं.	नियमित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम (समूह 'घ' कर्मचारियों को छोड़कर)	हिंदी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक ज्ञान, प्रवीणता प्राप्त)	मातृभाषा